W.B. Form No. 27

FIRST INFORMATION REPORT

560

First Information of a cognizable crime reported under section 154 Cr. P. C. at PS

1. Dist. Purulia ....Sub-Divn. Raghunathpur P.S. Adra ....Year 2022 FIR No. 60/2022 ....Date 03/6/2022
2. i) Act. IPC ....Sections. 120B/420/406/467 ii) Act. IPC ....Sections 468/471 ....
   iii) Act. ....x..................Sections. ....x.................. iv) Other acts & Sections.....x...................
3. a) General Diary Reference : Entry No. 107/2022 Date 03/6/2022 ....Time.....13:25 hrs..............
   b) Occurrence of Offence : Day. Friday & others ....Date from 05/9/2012 to 27/9/2012 Time....... not noted..........
   c) Information received Date.. 03/06/2022 ....Time.. 13:25 hrs ............G.D. No. ....107 dt 03/6/22 the P.S.
4. Type of Information : Written / Oral Typed (In Hindi language.)
5. Place of Occurrence : a) Direction and Distance from P.S....... Approx. 02 km. North East from PS
   b) Address. Sahara India Branch office, Lower Beniasole, Adra, P.O. Adra, Dist. Purulia, West Bengal. ....Beat No.... Beniasol - JL No. - 176.
   c) In case outside limit of this Police Station, then the name of P.S..........................District..........................
6. Complainant / Informant :
   a) Name.. Riya Mukherjee
   b) Father's / Husband's Name.... Amalesh Mukherjee
   c) Date / Year of birth...... 53 years
   e) Address. R/O Jyotirma Abasan, 3 Sri Durga Sidhee Road, P.O. Ghugudanga, Kolkata ....d) Nationality........ Indian
7. Details of known/suspected/unknown/accused with full particulars Dumdum.
   (Attach separate sheet, if necessary): ① Sri Subrata Roy, Sahara group and society chairman (managing director) ② Smt. Swapna Roy W/o Sri Subrata Roy Sahara Co-managing Director (vice-chairman) ③ Sri O. P. Sribastab, Co. managing director (vice-chairman) Sahara Group of company & society. ④ Sri Jay Brothers Roy, Director Sahara Group & company society ⑤ Sri [illegible] Katel, controlling section & Director Sahara Group & company society ⑥ Sri [illegible] Kumar Singh, controlling section & Director Sahara Group & company and society. ⑦ Sri [illegible] Accountant Sahara Group & company society ⑧ Sri Prasanta Kr. Varma regional manager Sahara Group & company society (New Delhi) ⑨ Sri Karunesh Abasthi, chief ex. officer, Sahara Q Shop unit product range limited. ⑩ Sri Amit Kumar Pandey, managing director, Sahara Q Shop unit product range limited. ⑪ Sri Pradip Kumar Sribastab, Director Sahara Q Shop unit product range limited. ⑫ Sri Rama Jha, Sahara Director, Sahara (continued.)
8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant. not noted
9. Particulars of properties stolen/involved : (Attach separate sheet, if required): FDR-4060/-, FDR-49905/-, FDR-117700/-, FDR-40253/-, FDR-30133/-, FDR-30133/-, FDR-28248/-, FDR-129470/-, FDR-117700/-, FDR-117700/-, FDR-117700/-
10. Total value of properties stolen/involved..... Total FDR Rs.- 782,996/- (Seven Lakh Eighty Two thousand Nine hundred ninety six) only.
11. Inquest report/U.D. Case No., if any :...
12. FIR Contents : (Attach separate sheet, if required) The original complaint of the complainant which treated as F.I.R is attached herewith.

13. Action taken : Since the above report reveals commission of offence(s) u/s.. 120B/420/406/467/468/471 IPC

registered the case and took up the investigation/directed.. SI Satrughna Mahato ....to take up the investigation/transferred to P.S...on point of jurisdiction. FIR read over to the Complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the Complainant/informant free of cost.

(Signature) 03/6/2022 Inspector-in-charge ADRA P.S. Dist. Purulia

Signature of the Officer-in-Charge, Police Station with

Name DIPAK KUMAR PANDEY

Rank SI OF POLICE OF ADRA PS DIST. PURULIA

Number if any DATE - 03/6/2022

Signature / Thumb impression of the Complainant/informant Is original complaint.

Scanned with CamScanner

ADRA POLICE STATION
DIST.-Purulia (W.B.)

Adra P.S Case No. 60/22 dated 03.06.2022, U/S – 120B/ 420/406/467/468/471 IPC

Continue Col. No-07,

Sl. No.13 Sunil Kumar Mishra, Branch Manager, Sahara Q Shop Unique product Range Limited, (Sahara India), Branch office-Lower Beniasol, PS-Adra, Dist-Purulia.

14. Manager Corporate, Sahara Q Shop Unique Product Range Limited, (Sahara India), Regional office, Regional Manager, 63 Deshbandhu Road, Indraprastha Pally, Purulia, West Bengal-723101

15. Managing Director, Sahara Q Shop Unique Product Range Limited (Sahara India), Registered office-Sahara India Bhawan -1, Kapoorthala Complex, Aliganj, Lucknow 226024 (Uttar Pradesh)

16. And against owner of Sahara Q Shop Unique Product Range Limited.

Scanned with CamScanner

1

P=11
144/21

OFFICE OF THE SUPERINTENDENT OF POLICE ★ PURULIA ★
27 JUL 2021

R/2463/V
27/7/21

सेवामे,

श्रीमान बिला पुलिस अधीक्षक महोदय,
BARRACKPORE

1- Amalesh Mukherjee S/o Satya Kinkar Mukherjee, Age- 60,
2- Keya Mukherjee W/o Amalesh Mukherjee, Age- 53,
R/o :- Jyotsna Abasan, 38 Purba Sinthee Road, P.O. :- Ghugudanga Dumdum, Ditt. North 24 Parganas, West Bengal 700030 मो.- 9800018514, 7439588751 पुलिस थाना:- DUMDUM

—प्रार्थीगण

विरुद्ध

1- श्री सुब्रत रॉय सहारा श्री, प्रबंध निदेशक (चेयरमेन), सहारा ग्रुप ऑफ़ कम्पनीज़ एंड सोसायटीज,
2- श्रीमती स्वप्ना रॉय पत्नी श्री सुब्रत रॉय सहारा श्री, सह प्रबंध निदेशक (वाइस चेयरमेन),
3- श्री ओ.पी. श्रीवास्तव, सह प्रबंध निदेशक (वाइस चेयरमेन), सहारा ग्रुप ऑफ़ कम्पनीज एंड सोसायटीज,
4- श्री जॉय ब्रदर रॉय, निदेशक, सहारा ग्रुप ऑफ़ कम्पनीज एंड सोसायटीज,
5- श्री जिया कादरी, कंट्रोलिंग विभाग एवं डाइरेक्टर, सहारा ग्रुप ऑफ़ कम्पनीज एंड सोसायटीज,
6- श्री अलख कुमार सिंह, कंट्रोलिंग विभाग एवं डाइरेक्टर, सहारा ग्रुप ऑफ़ कम्पनीज एंड सोसायटीज,
7- श्री जितेन्द्र कुमार वार्शनीय, लेखापाल, सहारा ग्रुप ऑफ़ कम्पनीज एंड सोसायटीज,
8- श्री प्रशांत कुमार शर्मा, क्षेत्रीय प्रबंधक, सहारा ग्रुप ऑफ़ कम्पनीज एंड सोसायटीज, न्यू देहली
9- श्री करुणेश अवस्थी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड,
10- श्री अनिल कुमार पांडे, प्रबंध निदेशक, सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड,
11- श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, निदेशक, सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड,
12- श्री राणा जिया, निदेशक, सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड,
13- Sunil Kumar Mishra, Branch Manager, Sahara Q Shop Unique Product Range Limited, (Sahara India), Branch Office- Lower Beniasole, Adra, P.o. Adra, Ditt. Purulia, West Bengal 723121
14- Manager Corporate, Sahara Q Shop Unique Product Range Limited, (Sahara India), Regional Office:- Regional Manager, 63, Deshbandhu Road, Indraprastha Pally, Purulia, West Bengal 723101
15- Managing Director, Sahara Q Shop Unique Product Range Limited (Sahara India), Registered Office- Sahara India Bhawan- 1, Kapoorthala Complex, Aliganj, Lucknow 226024 (Uttar Pradesh)

—विपक्षीगण

1774(2)/V
27/07/21

OC- Adra/IC-(T) PS
For w/n
Supdt. of Police
Purulia

विषय :- विपक्षी कम्पनी एवं विपक्षीगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 420, 406, 467, 468, 471 एवं प्राइज चिट एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट एवं दी बेनिंग अनरेगुलेटेड डिपोजिट एक्ट के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर प्रार्थीगण को न्याय दिलाने बाबत :-

महोदय,

प्रार्थीगण की ओर से सविनय निवेदन इस प्रकार है की :-

1- यह की सर्वप्रथम निवेदन है की हम समस्त ही प्रार्थीगण सामान्य वर्ग से है और इतने सक्षम नही है की की उक्त प्रकरण में न्यायालय जाकर एफ आई आर दर्ज करने का आदेश ला सके अत: आप श्रीमान से निवेदन है की इस मामले की गंभीरता पर संज्ञान लेते हुए थानाधिकारी :- DUMDUM को एफ आई आर दर्ज करने

Started Adra PS Case no 80/2022 date 03/6/2022 u/s 120B/420/406/467/468/471 IPC

Amalesh Mukherji
Keya Mukherjee

Inspector-in-charge
ADRA P.S.
Dist.- Purulia
03/6/2022

1

का आदेश प्रदान करते हुए त्वरित कार्यवाही का आदेश प्रदान करे ताकि उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित नज़ीर ललिता कुमारी बनाम उत्तरप्रदेश सरकार की पालना हो सके।

2- यह की विपक्षी कम्पनी सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड कम्पनीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होकर रजिस्टर्ड कार्यालय- सहारा इंडिया भवन- 1, कपूरथला कॉम्प्लेक्स, अलीगंज, लखनऊ- 226024 (उ.प्र.) स्थित है एवं, जिसकी शाखाए सम्पूर्ण भारत में स्थित है जहा समस्त ही विपक्षीगण एवं शाखाओं पर कार्यरत कर्मचारियों के माध्यम से कम्पनी में सदस्य जोड़ उन्हें निवेशित धन राशि की सुरक्षा एवं बेहतर ब्याज का प्रलोभन दे, लुभावने वादे कर विभिन्न योजनाओ के अंतर्गत निवेश करवाया जाता है और स्थानीय क्षेत्र में भी विपक्षी कम्पनी का कार्यालय स्थित है।

3- यह की भारत सरकार द्वारा पंजीकृत कम्पनी होने एवं कम्पनी के ब्रोशर, दस्तावेजो एवं सम्बंधित शाखा कार्यालय पर सहारा इंडिया परिवार का लोगो अंकित होने से और भारत वर्ष में सहारा इंडिया परिवार की ख्यातनाम छवि और प्रतिष्ठा को देखते हुए हम प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण एवं स्थानीय कर्मचारियों की लोक लुभावनी बातो में आकर विपक्षी कम्पनी में अपनी जीवन को जमा पूंजी निवेश की ताकि वक्त जरूरत हम प्रार्थीगण विपक्षी कम्पनी में निवेशित राशि मय ब्याज प्राप्त कर अपनी भावी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके, हम समस्त प्रार्थीगण द्वारा जो राशि विपक्षी कम्पनी में जमा की गई उसका विवरण निम्नानुसार है :-

नाम सदस्य	बांड क्रमांक	प्रकार	निवेश दिनांक	निवेश राशि	परिपक्वता दिनांक	परिपक्वता राशि
Amalesh Mukherjee	816942007293	FDR	05.09.2012	17250/-	05.09.2018	40607/-
Amalesh Mukherjee	816942007492	FDR	06.09.2012	21200/-	06.09.2018	49905/-
Amalesh Mukherjee	816942010593	FDR	29.09.2012	50000/-	29.09.2018	117700/-
Amalesh Mukherjee	816942010591	FDR	29.09.2012	17100/-	29.09.2018	40253/-
Amalesh Mukherjee	816942023018	FDR	15.11.2012	12850/-	15.11.2018	30133/-
Amalesh Mukherjee	816942023019	FDR	15.11.2012	12850/-	15.11.2018	30133/-
Keya Mukherjee	816942010580	FDR	23.06.2012	12000/-	23.06.2018	28248/-
Keya Mukherjee	816942002281	FDR	31.07.2012	55000/-	31.07.2018	1,29,470/-
Keya Mukherjee	816942010587	FDR	29.09.2012	50000/-	29.09.2018	1,17,700/-
Keya Mukherjee	816942010588	FDR	29.09.2012	50000/-	29.09.2018	1,17,700/-
Keya Mukherjee	816942010592	FDR	29.09.2012	50000/-	29.09.2018	1,17,700/-

4- यह की हम प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण की कम्पनी में निवेशित राशि की परिपक्वता अवधि पूर्ण हो चुकी है, जिसे प्राप्त करने हेतु हम प्रार्थीगण कई मर्तबा विपक्षी शाखा कार्यालय चलकर काट चुके है किन्तु विपक्षी कम्पनी एवं विपक्षीगण द्वारा परिपक्वता राशि का भुगतान नही किया जाकर विपक्षीगण द्वारा परिपक्वता राशि को पुनः निवेश करने हेतु दबाव डाला जा रहा है और हम प्रार्थीगण को मिथ्या जानकारी दी जा रही है की सहारा सेबी के विवाद के चलते कम्पनी भुगतान नही कर पा रही है किन्तु वास्तविकता यह है की विपक्षी कम्पनी के संदर्भ में सेबी की कोई भूमिका ही नही है क्यूंकि विपक्षी कम्पनी न तो सेबी के अधिकार क्षेत्र में आती है और न ही भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत आती है।

5- यह की हम प्रार्थीगण को तुरंत ही परिपक्वता राशि की आवश्यकता है और परिपक्वता राशि को पुन: निवेश करने में पूर्ण रूप से असमर्थ है। विपक्षी कम्पनी द्वारा हम प्रार्थीगण की परिपक्वता अवधि पूर्ण हो जाने पर भी परिपक्वता राशि को नही लौटाया जा रहा है जो न केवल हम प्रार्थीगण के मूलभुत अधिकारों का हनन है अपितु विपक्षीगण के उक्त कृत्य हमारे साथ छल एवं धोखाधड़ी की श्रेणी में आते है जो की भारतीय दंड संहिता के साथ साथ प्राइज चिट एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट एवं दी बेनिंग अनरेगुलेटेड डिपोजिट एक्ट के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

6- यह की विगत कई वर्षो से विपक्षी कम्पनी के संस्था प्रमुख द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से निवेशको को परिपक्वता राशि का मय ब्याज भुगतान किये जाने के नाम पर मात्र गुमराह ही किया जा रहा है जिस कारण आज दिनांक तक हम प्रार्थीगण इस भरोसे रहे की विपक्षीगण द्वारा

Amalesh Mukherjee
Keya Mukherjee

Scanned with CamScanner

शीघ्र ही राशि का भुगतान कर दिया जाएगा किन्तु दिनांक 07.05.2021 को विपक्षी कम्पनी के प्रमुख सहारा श्री सुब्रत राय द्वारा इलेक्ट्रोनिक मीडिया सहारा के न्यूज चैनलों पर भ्रामक सन्देश दिया जिससे स्पष्ट हो गया की विपक्षीगण हम प्रार्थीगण का धन हडप कर लेना चाहते है क्यूंकि वास्तविकता यह है की उक्त विपक्षी कम्पनी जिसमे की हम प्रार्थीगण द्वारा निवेश किया गया है उस पर कोई कानूनी प्रतिबन्ध नही है और न ही सहारा सेबी विवाद का उक्त कम्पनी से कोई सम्बन्ध है, इस अवस्था में विपक्षीगण के उक्त कृत्यो से यही प्रतीत होता है की विपक्षीगण हम प्रार्थीगण की परिपक्वता राशि का भुगतान ही नही करना चाहते है और उसे हडप कर लेना चाहते है । विपक्षीगण द्वारा परिपक्वता राशि का भुगतान नही करना हम प्रार्थीगण के विधिक अधिकारों का हनन तो है ही साथ ही विपक्षीगण के उक्त कृत्य हम प्रार्थीगण के साथ छल एवं धोखाधड़ी कारित करना है जिस हेतु समस्त ही विपक्षीगण समान रूप से उत्तरदायी है ।

7- यह की हम प्रार्थीगण द्वारा राशि के भुगतान के संदर्भ में को विपक्षी कम्पनी को विधिक सुचना पत्र जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट इस आशय का दिया की हम प्रार्थीगण की परिपक्वता राशि का भुगतान करे, जो की उन्हें प्राप्त हो गये किन्तु आज दिनांक तक विपक्षीगण द्वारा न तो हम प्रार्थीगण को राशि का भुगतान किया है और न ही विधिक सुचना पत्र का कोई जवाब ही दिया है जिससे यही प्रतीत हो रहा है विपक्षी कम्पनी एवं समस्त ही विपक्षीगण हम प्रार्थीगण के साथ छल एवं षड्यंत्र कारित कर हमारी राशि हडप कर लेना चाहते है ।

8- यह की जब भी हम प्रार्थीगण परिपक्वता राशि की मांग को लेकर शाखा कार्यालय जाते है तो वहा मौजूद शाखा प्रबंधक और कर्मचारियों द्वारा यही कहा जाता है की अभी राशि का भुगतान नही होगा जो करना है कर लो पुलिस प्रशासन और कानून को सहारा इंडिया अपनी जेब में रखता है इस अवस्था में हम प्रार्थीगण का जीना मुहाल हो चुका है ।

9- यह की समस्त ही विपक्षीगण द्वारा हमारे साथ छल एवं प्रपंच कारित किया जाकर हमारी निवेशित धन राशि का गबन कर हमारी राशि का दुर्विनियोग किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में चल रहा विवाद सहारा हाउसिंग और रियल इस्टेट से सम्बंधित है फिर भी विपक्षीगण द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर और उन मिथ्या दस्तावेजो को निवेशको को दिखा गुमराह किया जा रहा है जबकि वास्तविकता यह है की विपक्षी कम्पनी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का कोई भी प्रतिबन्ध ही नही है, इस रूप में विपक्षीगण का हमारी राशि का भुगतान नही करना हमारे साथ जालसाजी एवं धोखाधड़ी कारित करना है, जिस भी निवेशक द्वारा विपक्षीगण के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराया जाता है विपक्षीगण द्वारा उन्हें उनकी राशि का भुगतान कर दिया जाता है जिस कारण हमे आप श्रीमान के समक्ष उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पड़ रही है । विपक्षीगण के उक्त कृत्य भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ ही प्राइज चिट एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट एवं दी बेनिंग अनरेगुलेटेड डिपोजिट एक्ट के अंतर्गत दंडनीय अपराध है जिस हेतु समस्त ही विपक्षीगण समान रूप से उत्तरदायी है और आज भी विपक्षीगण द्वारा स्थानीय क्षेत्र में भोले भाले लोगो को लोक लुभावनी बाते कर उन्हें नवीन नवीन स्कीमे बना इसी संस्था की अन्य कम्पनिया बना उसमे निवेश करा छल कारित कर रहे है ।

10- यह की विपक्षीगण द्वारा हम प्रार्थीगण के निवास पर आकर राशि ली है और हमारा निवास स्थान पुलिस थाना क्षेत्र DUMDUM के अंतर्गत आता है ।

अतः आप श्रीमान से निवेदन है की पुलिस थानाधिकारी- DUMDUM को आदेश प्रदान करे की समस्त ही विपक्षीगण के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर विपक्षीगण के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए हम प्रार्थीगण को हम प्रार्थीगण की परिपक्वता राशि मय ब्याज दिलवाते हुए हम प्रार्थीगण को न्याय प्रदान करावे ।

स्थान :- DUMDUM

दिनांक :- 23/24. 07. 2021.

हस्ताक्षर प्रार्थीगण

Amalesh Mukherjee
Keya Mukherjee.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रसंज्ञान लेने बाबत :-

1- श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय,
2- श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय,
3- श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय,
4- श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय,
5- श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय,
6- केन्द्रीय रजिस्ट्रार, भारत सरकार,
7. SP purulia

Scanned with CamScanner